प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 135/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

कना उर्फ कन्हैयालाल पुत्र दला रेगर निवासीः चमनपुरा मावली, तहसील–मावली, उदयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी मावली , उदयपुर
2. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एन.एच. 162–ई (उपखण्ड अधिकारी मावली), उदयपुर
3. सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर

.....प्रत्यर्थीगण

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 11-11-2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर क्रमशः दिनांक 25.10.2023, 24.07.2024 एवं 27.08.2024 को प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 के कार्यालय में दिनांक 25.10.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या 722 में अवाप्त भूमि में निजी ट्यूबवेल का मुआवजा नहीं दिया गया एवं खसरा संख्या 720 में खातेदारी का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। उचित मुआवजा दिलाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 के कार्यालय में दिनांक 24.07.2024 एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में दिनांक 27.08.2024 को आवेदन प्रस्तुत कर अवाप्त भूमि खसरा संख्या 719, 720 एवं 722 ग्राम मावली चमनपुरा की सर्वे रिपोर्ट, पटवार मण्डल मावली की सत्यापित प्रति एवं एनएच 162–ई हाइवे सर्वे रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि चाही गई। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/135/24/1137–38 दिनांक 14.10.2024 से अपील के प्रत्युत्तर हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1 को लिखा गया। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा कोई प्रत्युत्तर अथवा सूचना आदिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा तीन अलग–अलग प्रार्थना पत्रों/सूचना के आवेदन पत्रों की एक ही अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अलग अलग प्रार्थना पत्रों के लिए अलग अलग प्रथम अपील प्रस्तुत करना चाहिए। अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 के कार्यालय में दिनांक 25.10.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुआवजा भुगतान हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थना द्वारा क्या सूचना चाही गई है इसका स्पष्ट अंकन नहीं है। अपीलार्थी

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन तिथि 25.10.2023 से लगभग एक वर्ष पश्चात् दिनांक 14.10.2024 को प्रस्तुत की गई है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील अवधि 30 दिवस से बाहर है।

बिन्दु संख्या 2 के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एनएच 162–ई उखण्ड अधिकारी, मावली से सूचन चाही गई जो प्राप्त नहीं होने से अपील प्रस्तुत की गई है। यद्यपि उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 24.07.2024 को प्रस्तुत किया गया। निर्धारित प्रथम अपील अवधि दिनांक 24.09.2024 तक प्रथम अपील प्रस्तुत की जानी थी। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.10.2024 को अपील प्रस्तुत की गई है। अधिनियम का उद्देश्य प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराना है। मियाद अवधि भी अधिक नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित है।

बिन्दु संख्या 3 में वांछित सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित है, एवं अपील का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर में निहित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी मावली को बिन्दु संख्या 2 के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश दिये जाते है। बिन्दु संख्या 1 मयाद एवं बिन्दु संख्या 3 श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी मावली एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर